

समक्ष,

श्री नोटरी अवनी कान्त शर्मा नोटरी, अधिवक्ता महोदय गुमला

शपथ - पत्र

मैं रवीन्द्र कुमार शर्मा, पिता स्व० राधेश्याम शर्मा, उम्र - 54 वर्ष,
ग्राम - बड़ाईक मुहलला जशपुर रोड गुमला, थाना - गुमला, जिला - गुमला
हलफन ब्यान करता हूँ कि :-

1. यह कि उपरोक्त पता का मैं स्थाई निवासी हूँ।
2. यह कि मेरा पुस्तैनी जमीन मौजा गुमला बड़ाईक मुहल्ला जशपुर रोड गुमला
अन्दर खाता नं० 428 प्लॉट नं० 733 रकबा 3 डी० जमीन अवस्थित है।
3. यह कि उक्त खाता प्लॉट की जमीन पर मेरा पुराना मकान बना हुआ है।
4. यह कि गुमला नगर परिषद के झारखण्ड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 के तहत
जो नियम बनाया गया है उसके आधार पर मैं पुरान मकान तोड़कर नया
मकान का निर्माण करूँगा।

रवीन्द्र कुमार शर्मा

सत्यापन

मैं रवीन्द्र कुमार शर्मा, तसदीक करता हूँ कि उपरोक्त ब्यान मेरे जानकारी से
सही, सत्य एवं दुरुस्त है।

रवीन्द्र कुमार शर्मा

मेरे समक्ष रवीन्द्र कुमार शर्मा ने शपथ ग्रहण किया जिनका
पहचानकर्ता अधिवक्ता श्री गुमला ने किया।

क्रमांक 509024

नोटरी गुमला


अशोक शर्मा
सहकारिता शर्मा

Authorised Under Section 5
Of The Notaries Act, 1952
(Act. No. 53 Of 1952)
With Notaries Rules 1956

The Deftendant is Idantime
By Me He/ She Has Put His/ He
signature/ Thumbs in My Presence

Adv.
09/01/024

WANI KANTI SHARMA
(NOTARY)
Dist. Gumla



समक्ष,

श्री नोटरी ...अवनी कान्त शर्मा नोटरी, अधिवक्ता महोदय गुमला


SERIAL NO. 511024

शपथ - पत्र

हमलोग 1. सदन गोपाल शर्मा, पिता स्व० पारसनाथ शर्मा,


2. अशोक शर्मा, पिता - स्व० मदन गोपाल शर्मा सभी ग्राम बिकुवादाग, थाना कर्मा, जिला - खुंटी शपथ पूर्वक ब्यान करते है कि :-

1. यह कि मौजा गुमला के खाता नं० 428 प्लॉट नं० 733 रकबा - 0.3 डी० जमीन में पुराना मकान बना हुआ था जिसे तोड़कर राजेन्द्र कुमार शर्मा, विरेन्द्र कुमार शर्मा, रवीन्द्र कुमार शर्मा, नरेन्द्र कुमार शर्मा, सभी का पिता स्व० राधेश्याम शर्मा मकान बना रहें हैं।
2. यह कि उक्त मकान बनाने में हमलोग पारसनाथ शर्मा के अन्य वंशजों को कोई आपत्ति नहीं है।
3. यह कि हमलोग का वंशावली निम्न प्रकार है :-



अशोक कुमार शर्मा
सदन गोपाल शर्मा

वंशावली



अशोक शर्मा

9.1.24

अशोक शर्मा
मदन गोपाल शर्मा